Newspaper : Denik Jagran

Edition: Delhi | Date: 16th October, 2019 | Pg. : 11

स्कूल बैग का वजन कम करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने पिछले वर्ष नवंबर में स्कूल बैग के वजन को कम करने वाले सर्कुलर का पालन करने के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों को फिर से सर्कुलर जारी किया है। सोमवार को जारी किए गए सर्कुलर के तहत दिल्ली के सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रमुखों को स्कूल बैग के वजन कम करने के निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है। पिछले वर्ष नवंबर में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने देशभर के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था कि वह कक्षाओं के अनुरूप स्कूल बैग के वजन को कम करें। इसके तहत स्कूल बैग का वजन पहली और दूसरी कक्षा के लिए 1.5 किलो, तीसरी से पांचवी कक्षा के लिए 2 से 3 किलो, छठी और सातवीं कक्षा के लिए 4 किलो, आठवीं और नौंवी के लिए 4.5 किलो और दसवीं के लिए 5 किलो निर्धारित किया गया था। इसी निर्देश के तहत सोमवार को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले सभी स्कूल सीबीएसई, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों को ही लाने के लिए छात्रों को बोलें। साथ ही वह इससे जुड़े सभी बिंदुओं का पालन करें।

दिल्ली अभिभावक संघ ने कहा स्कूल नहीं मान रहे दिशा-निर्देश : दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने बताया कि दिल्ली में कई स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वर्ष 27 मार्च को स्कूलों के बच्चों के बैग के बढ़ते वजन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने किताबों पर अपना रुख साफ करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि निजी प्रकाशन की किताबें स्कूल के बच्चों पर थोपना गलत है। वहीं इस मामले में शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि वह लगातार बच्चों के स्कूल बैग के वजन को कम करने पर नजर रख रहे हैं।